UPJL010006952026

Presented on : 02-02-2026
Registered on : 03-02-2026
Decided on : 11-03-2026
Duration : 0 years, 1 months, 9 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SRI SURESH KUMAR GUPTA)

Bail Application/200019/2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई।

सम्बन्धित नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं0–19/2026

1. शिवम उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह,
2. हरेन्द्र सिंह उम्र 54 वर्ष पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह,
3. चिन्टू उर्फ आदर्श उम्र 26वर्ष पुत्र गजेन्द्र सिंह,
4. गजेन्द्र सिंह उम्र 49 वर्ष पुत्र जयराम,

समस्त निवासीगण ग्राम बारा थाना आटा, जिला जालौन उत्तर प्रदेश।

.....(आवेदकगण/अभियुक्तगण)

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश ..... (लोक अभियोजक)

मुकदमा अपराध संख्या 191/2025
एस0एस0टी0 संख्या 03/2026,
धारा–115(2), 352, बी0एन0एस0
धारा 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना आटा, जिला जालौन।

दिनांक–11.03.2026

निस्तारण अंतरिम जमानत प्रार्थनापत्र

आवेदकगण/अभियुक्तगण शिवम पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह, हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह, चिन्टू उर्फ आदर्श पुत्र गजेन्द्र सिंह व गजेन्द्र सिंह पुत्र जयराम की ओर से एस0एस0टी0 संख्या 03/2026, धारा–115(2), 352, बी0एन0एस0 धारा 3(2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना आटा, जिला जालौन के प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम जमानत आदेश दिनांकित 27.02.2026 के अनुपालन में आत्मसमपर्ण करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त आज की तिथि तक अंतरिम जमानत पर हैं।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा पप्पू उर्फ वीर सिंह द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 16.10.2025 को समय करीब सांय 7:30बजे कल्लू के टयूबेल के पास खड़े ट्रैक्टर से अभियुक्तगण शिवम, हरेन्द्र, चिन्टू, गजेन्द्र सिंह आदि लोगों ने उतरकर वादी के पुत्र अनूप व उसकी पत्नी श्रीमती रानी देवी के साथ हाथा पायी की तथा हरेन्द्र प्रधान ने रानी देवी के सिर वपर कड़े से वार कर दिया। उसका बड़ा पुत्र विनय आया तो सभी लोगों ने मिलकर मारपीट की तथा गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। उक्त तहरीर के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण सहित के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र उपरोक्त धाराओं के तहत न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.03.12 11:25:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वह पूर्णतः निर्दोष हैं, उहोंने कोई अपराध नहीं किया है। पार्टीबंदी के कारण झूंठा फंसाया गया है। सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। प्रार्थीगण का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास कतई नहीं है। उक्त प्रकरण में लगायी गयी समस्त धारायें 7 वर्ष से कम अवधि के दण्ड से दण्डित करने का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अण्टिल बनाम व्यूरों आफ इन्वेस्टीगेशन में पारित दिशा निर्देश के आधार पर प्रार्थीगण जमानत पाने के अधिकारी है। अतः दौरान मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने वादी व उसके पुत्र व पत्नी की मारपीट कर गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण पर वादी व उसकी पत्नी व पुत्र को गाली गलौज करते हुए मारपीट करने एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप है। धारा 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को छोड़कर शेष सभी धाराएं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियुक्तगण अंतरिम जमानत पर थे, तथा उनके द्वारा अंतरिम जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, इस स्तर पर उन्हें सशर्त जमानत दिये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण शिवम पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह, हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह, चिन्टू उर्फ आदर्श पुत्र गजेन्द्र सिंह व गजेन्द्र सिंह पुत्र जयराम की ओर से एस0एस0टी0 संख्या 03/2026, धारा–115(2), 352, बी0एन0एस0 धारा 3(2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना आटा, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त को उनके द्वारा मुव0 50,000–50,000/–रूपये (पचास–पचास हजार रूपये) की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि :–

1– अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व अभियोजन साक्षियों को डराया या धमकाया नहीं जायेगा और न ही अभियोजन साक्ष्यों के साथ कोई छेड़–छाड़ करेंगे।

2–न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और विचारण में सहयोग प्रदान करेंगे।

दिनांकः–11.03.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2414,